>

Title: Need to include Kol caste of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes -laid.

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद) : सन् 1931 की जनगणना में कोलारिया जाति के साथ अन्य 11 जातियों के साथ कोल जाति को भी सम्मिलित किया गया था । संविधान संशोधन 2003 में कोल जाति को छोड़ अन्य सभी शेष जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया गया था । उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड, प्रयागराज, मिर्जापुर व सोनभद्र में लाखों कोल दयनीय स्थिति में निवास करते हैं । कई पत्थर के अस्थायी घरों में रहते हैं, कई खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं । यह अशिक्षित जाति सिलिका सैण्ड व पत्थर की खदानों में मजदूरी करते हैं । टी.बी. व सिलिकोसिस की जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं । उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने सर्वे कर रिपोर्ट दी थी कि सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्तर से कोल अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करने योग्य हैं । 2002 से 2013 के बीच 5 बार उक्त प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया परंतु किसी न किसी कारण वह अस्वीकार होता रहा । 2014 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव यह कहकर वापस कर दिया कि पहले 4 बार के परीक्षण पश्चात इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

केन्द्र सरकार से मांग है कि इस विषय पर पुनः विचार कर अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश की कोल जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए ।